

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 7877
आदेश

दिनांक: 21/04/2025

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(च)()ए.सी.बी/एफआईआर. नंबर 424/22/ जांच/डीएलबी/22/145-157 दिनांक 31.03.2023 द्वारा श्री विमल चन्द महावर को सभापति नगर परिषद सवाईमाधोपुर एवं सदस्य पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद सवाईमाधोपुर में सभापति का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जयप्रकाश सांवरिया सदस्य वार्ड संख्या 55 को नगर परिषद सवाईमाधोपुर के सभापति पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/ 7878-90 दिनांक: 21/04/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर/जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
8. उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक



Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.04.21 12:56:33 IST
Reason: Approved